भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 43

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

कामगारों की न्यूनतम मजदूरी

43. श्री विजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित और कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मजदूरों/कामगारों को किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में खामियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपनी दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजन में संलग्न कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया है। अनुसूचित नियोजन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरानी और संशोधित मूल न्यूनतम मजदूरी की तुलना दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध 'क'** पर दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छह माह में परिशोधित किया जाता है। वी.डी.ए. में पिछला परिशोधन 01.04.2020 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम दरें दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध 'ख'** पर दिया गया है।

(ख) और (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में सामान्यत: नामोद्दिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है तथा राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। नामोद्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी के गैर-भुगतान या न्यून-भुगतान के किसी मामले का पता लगने की स्थिति में, नियोजकों को मजदूरी की न्यूनता का भुगतान करने का निदेश देते हैं। गैर-अनुपालन के मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत विहित दाण्डिक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

(ङ) और (च): न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें समय-समय पर मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय के साथ-साथ उनके फील्ड कार्यालयों में प्राप्त होती हैं तथा निरीक्षकों द्वारा और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावे दायर करके इनका निवारण किया जाता है। विवरण **अनुबंध 'ग'** के रूप में संलग्न हैं।

***   *****

अनुबंध-क

14.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 43 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित नियोजन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरानी और संशोधित मूल न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाली तुलना

(प्रतिदिन मजदूरी रुपये में) 19.10.2017 की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	क क्षेत्र		ख क्षेत्र		ग क्षेत्र	
		पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित
कृषि	अकुशल	237	333	216	303	214	300
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	259	364	239	335	219	307
	कुशल/लिपिकीय	281	395	259	364	238	334
	अतिकुशल	312	438	289	407	259	364
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	374	523	312	437	250	350
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण के साथ कुशल में उन्नयित)	414	637	353	579	293	494
	शस्त्र सहित (पर्यवेक्षण हेतु उच्च-कुशल में उन्नयित)	456	693	414	637	353	579
लादना एवं उतारना	अकुशल	374	523	312	437	250	350
निर्माण	अकुशल	374	523	312	437	250	350
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	414	579	353	494	293	410
	कुशल/लिपिकीय	456	637	414	579	353	494
	अतिकुशल	495	693	456	637	414	579
		पुराना			संशोधित		
पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में: *						
	(क) मुलायम मिट्टी	252.00			351		
	(ख) पत्थर सहित मुलायम मिट्टी	380.00			531		
	(ग) पत्थर	503.00			703		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में:	203.00			283		
	निम्न आकार के पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए**						
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	1553.00			2171		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	1329.00			1857		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	778.00			1088		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	639.00			893		
गैर कोयला खानें		भूमि के ऊपर			भूमि के नीचे		
		पुराना			संशोधित	पुराना	संशोधित
	अकुशल	250			350	312	437
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	312			437	374	523
	कुशल/लिपिकीय	374			523	436	610
	अतिकुशल	436			610	495	683

* प्रति 2.831 घन मीटर अथवा 100 घन फीट

** प्रति ट्रक 5.662 घन मीटर या 200 घन फीट का भार

<u>अनुबंध-ख</u>

दिनांक 14.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 43 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
01.04.2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों हेतु न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्र-वार दरें

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन(रुपये में)		
		क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. कृषि	अकुशल	400	365	362
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	438	402	369
	कुशल/लिपिकीय	475	438	401
	अतिकुशल	526	489	438
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी	424		
	(ख) पत्थर सहित मुलायम मिट्टी	637		
	(ग) पत्थर	844		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में:	340		
	निम्न आकार के पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2600		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	2224		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	1305		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1071		
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	629	525	420
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	764	695	593
	शस्त्र सहित	831	764	695
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	629	525	420
6. निर्माण	अकुशल	629	525	420
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	695	593	492
	कुशल/लिपिकीय	764	695	593
	अतिकुशल	831	764	695
7. गैर कोयला खानें		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	420	525	
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	525	629	
	कुशल/लिपिकीय	629	733	
	अतिकुशल	733	819	

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम,1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा/निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादना एवं उतारना	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडसशेडस-,गोदामों, वेयर हाउस आदि और (iii)गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	सड़कों अथवा रनवे का निर्माण या अनुरक्षण अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. कोयला खानों के अलावा	जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान) खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित(,ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम,

	अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलैक्स	
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवीमुम्बई		पुणे	(यूए)		

क्षेत्र -"ख"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलॉग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलिगुड़ी	(यूए)
भिवन्ड़ी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोची	(यूए)	सूरत	
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिचूर	(यूए)
चण्डीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बतूर	(यूए)	कोजिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मेंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड़	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेडवघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटुर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
क्षेत्र *'ग'* में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है। **द्रष्टव्य** :यू.ए. शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।					

अनुबंध-ग

दिनांक 14.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 43 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्रम संख्या	विवरण	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-20 (अदिनांक दिसंबर, 2019)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	9151	9187	8327	5827
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	61689	77399	61489	47881
3	सुधार की गई अनियमितताओं की संख्या	53255	39620	34465	17561
4	चलाए गए अभियोगों की संख्या	2321	1651	2081	1302
5	दिए गए दंडों की संख्या	1951	2205	651	353

****